प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 2739/2020

1 – मधुकर पटेल पिता श्री खगेश्वर पटेल, आयु लगभग 29 वर्ष,

निवासी ग्राम गौरबिहारी, डाकघर हमीरपुर, वाया– तमनार,

जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

2 – श्रुति वर्मा पिता श्री तुला राम वर्मा, आयु लगभग 26 वर्ष,

निवासी ग्राम तरशिव, डाकघर चिचड़ी, ब्लॉक तिल्दा, रायपुर, छत्तीसगढ़,

जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – कर्णिका द्विवेदी पिता श्री के.के. द्विवेदी, आयु लगभग 28 वर्ष,

निवासी क्वार्टर संख्या 851, जी.एम. कॉम्प्लेक्स, ब्रजराजनगर,

जिला झारसुगुड़ा, ओडिशा, जिला: झारसुगुड़ा, उड़ीसा

4 – गुंजा ध्रुव पिता श्री रूपाराम ध्रुव, आयु लगभग 26 वर्ष,

निवासी क्वार्टर संख्या जी–1, सिंचाई कॉलोनी, गंगरेल,

जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, जिला: धमतरी, छत्तीसगढ़

5– चन्द्र प्रकाश पिता श्री चैन दास साहू, आयु लगभग 27 वर्ष,

निवासी सी–9, श्री राम कॉलोनी, राम नगर, वार्ड संख्या 07,

मोतीपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2– छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सचिव, शंकर नगर रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

----प्रतिवादीगण

(प्रकरण का शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण की ओर से	श्री वेदांत शादंगी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	श्री यशवंत सिंह ठाकुर, अपर महाधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से	श्री आनंद मोहन तिवारी, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा [मुख्य न्यायाधिपति] के अनुसार

13/08/2025

1. याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ जल संसाधन इंजीनियरिंग और भूवैज्ञानिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 (संक्षेप में 'नियम 2014') के नियम 8 के उप–नियम (ii) की अनुसूची–III में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है और अपनी रिट याचिका में निम्नलिखित अनुतोषों की मांग की है :–

"I. माननीय न्यायालय कृपया नियम 8 के उप–नियम (II) की अनुसूची–III, शैक्षणिक योग्यता" को मनमाना, अवैध, अधिकारातीत (अधिकार क्षेत्र से बाहर), और असंवैधानिक घोषित करते हुए आक्षेपित छत्तीसगढ़ जल संसाधन इंजीनियरिंग और भूवैज्ञानिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 (अनुलग्नक पी/1) को निरस्त और अपास्त करने की कृपा करे और आगे उत्तरवादी को एम.टेक. (मृदा एवं जल इंजीनियरिंग) को शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश देने की कृपा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और

II. माननीय न्यायालय कृपया विज्ञापन दिनांक 10.06.2020 के खंड–2 के आक्षेपित उप–खंड (iii) को मनमाना, अवैध, अधिकारातीत और असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे निरस्त और अपास्त करने की कृपा करे।

या

III. माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी राज्य को सीजीपीएससी (CGPSC) और कृषि विभाग की सिफारिश पर कार्य करने का निर्देश दे, जिसके तहत मास्टर डिग्री एम.टेक. (मृदा एवं जल इंजीनियरिंग) को सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में से एक मानने की कृपा करें।

IviIV. न्याय के हित में माननीय न्यायालय द्वारा उचित और न्यायसंगत माना जाने वाला कोई अन्य अंतरिम अनुतोष भी प्रदान करने की कृपा करें।"

2. याचिकाकर्ता, जिन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से बी.टेक. (कृषि इंजीनियरिंग) और एम.टेक. (मृदा और जल इंजीनियरिंग) की डिग्री प्राप्त की है। उत्तरवादी संख्या 2/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग में सहायक भू–जलविज्ञानी के 05 रिक्त पदों पर

भर्ती के लिए 07.02.2020 को एक विज्ञापन जारी किया और 12.02.2020 को प्रकाशित किया। विज्ञापन में सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. उत्तीर्ण किया है और यह भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है, और इस प्रकार सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए निर्धारित योग्यता याचिकाकर्ताओं सहित उम्मीदवारों के साथ भेदभाव कर रही है। सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए निर्धारित इस आवश्यक योग्यता के कारण, याचिकाकर्ताओं को योग्य और पात्र उम्मीदवार होने के बावजूद सार्वजनिक रोजगार की चयन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित और रोका गया, इसलिए आक्षेपित विज्ञापन दिनांक 12.02.2020 अवैध, अधिकारातीत और असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने 01.05.2020 को जल संसाधन विभाग को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि, मृदा और जल इंजीनियरिंग विभाग स्नातकोत्तर और पीएच.डी. डिग्री प्रदान कर रहा है, जो सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए आवश्यक डिग्रियां हैं और मृदा और जल इंजीनियरिंग के छात्रों को सहायक भू–जलविज्ञानी की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए, फिर भी उनकी सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा यह रिट याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता योग्य हैं और उनके पास इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. की डिग्री है। मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. की डिग्री भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है। सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में मास्टर डिग्री निर्धारित करना उन याचिकाकर्ताओं के लिए मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जिन्होंने एम.टेक. (मृदा और जल इंजीनियरिंग) उत्तीर्ण किया है। नियम 2014 के नियम 8 के उप–नियम (ii) की अनुसूची–III सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए आवेदन करने में याचिकाकर्ताओं के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है। योग्य और पात्र उम्मीदवार होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को सहायक भू–जलविज्ञानी की चयन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि जो छात्र मृदा और जल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री रखते हैं, उन्हें सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए विचार किया जा सकता है और उन्हें विज्ञापन दिनांक 12.02.2020 के तहत सहायक भू–जलविज्ञानी की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का भी यह मत है कि मृदा और जल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया जा सकता है और इस प्रकार नियम 2014 के नियम 8 के उप–नियम (ii) की अनुसूची–III में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मनमानी, अधिकारातीत और

असंवैधानिक है और उत्तरवादी अधिकारियों को उक्त अनुसूची–III में सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए एम.टेक. (मृदा और जल इंजीनियरिंग) डिग्री को भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का जवाब देते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह प्रस्तुत किया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री सहायक भू–जलविज्ञानी के पद पर चयन के लिए पूर्वापेक्षित है, जो पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। भूविज्ञान विषय कोयले, पेट्रोलियम और खनिजों आदि की खोज में उपयोगी हिस्सा है। भूविज्ञान के महत्व को सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के क्षेत्र में भी पहचाना गया है, जैसे कि जल आपूर्ति, बांधों, जलाशयों, सुरंगों, पुलों आदि का निर्माण, जिसमें क्षेत्र में काम करने के लिए उक्त विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। भूविज्ञान और मृदा और जल इंजीनियरिंग विषयों में ठोस अंतर है। मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. की डिग्री कृषि के क्षेत्र में चयन के लिए उपयुक्त है, लेकिन जल संसाधन विभाग के क्षेत्र में उपयुक्त नहीं है, जहां काम पुनर्मूल्यांकन हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण, स्थान का चयन और भूजल अन्वेषी ड्रिलिंग संचालन की निगरानी, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण करना, समय–समय पर भूजल संसाधन मूल्यांकन, विशेष अध्ययन जैसे; पानी के कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवहार्यता, आदि से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि जिन व्यक्तियों ने मृदा और जल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, वे सहायक भू–जलविज्ञानी का कार्य कर सकते हैं, गलत और तर्कहीन है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करेंगे कि नियोक्ता/राज्य ने उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने में एक उचित वर्गीकरण किया है, जो न तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, और न ही किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण है। वह यह भी तर्क दिया गया है कि जल संसाधन विभाग के तहत एक अलग विंग (शाखा) का गठन किया गया है, जो दर्शाता है कि जल संसाधन विभाग में भूविज्ञानी का कार्य बिल्कुल एक अलग श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इसलिए, उक्त क्षेत्र में विशेषज्ञता वांछनीय और उचित है और जिन छात्रों ने मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. किया है, उन्हें उक्त क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करेंगे कि किसी पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है और राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। एक विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य के विचार का विषय है। याचिकाकर्ता को यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि राज्य को अनिवार्य रूप से नियमों में सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए योग्यता के रूप में एम.टेक. (मृदा और जल इंजीनियरिंग) की योग्यता को शामिल करना चाहिए और तदनुसार विज्ञापन जारी करना चाहिए। उनके द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक योग्यता के संबंध में नियमों में संशोधन के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है और विधिवत विचार के बाद, 16.07.2021

को, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए अनुसार नियम 2014 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन दिनांक 12.02.2020 के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 21.10.2021 को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें रिट याचिका में उत्तरवादी पक्षकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है और इस प्रकार याचिका आवश्यक पक्षकारों को शामिल न करने से प्रभावित है। याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि नियम 2014 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार और किन पहलुओं में असंवैधानिक है और इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं है। किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, कई विशेषताओं को वैध रूप से ध्यान में रख सकता है जैसे; कार्य की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए अपेक्षित योग्यताएं, एक योग्यता की कार्यक्षमता और अध्ययन पाठ्यक्रम की सामग्री, आदि। यह स्थापित कानून है कि प्रशासन की आवश्यकताएं प्रशासनिक निर्णय लेने के दायरे में आती हैं और अनिवार्य रूप से नीति का मामला हैं, इसलिए, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी संख्या 2/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भी याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करेगा और प्रस्तुत करेगा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था होने के नाते, नियम 2014 के तहत सहायक भू–जलविज्ञानी के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया और एक उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने 04.05.2020 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष संपर्क किया और उनके प्रतिनिधित्व को राज्य सरकार को भेज दिया गया, बिना किसी राय व्यक्त किए कि याचिकाकर्ताओं के उक्त प्रतिनिधित्व पर आवश्यक कदम उठाए जाएं। वह आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करेंगे कि विज्ञापन दिनांक 12.02.2020 के अनुसरण में चयन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिट याचिका के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. की डिग्री भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है और नियम 2014 के नियम 8 के उप–नियम (ii) की अनुसूची–III में सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में मृदा और जल इंजीनियरिंग में एम.टेक. को शामिल किया जाना चाहिए। भूविज्ञान का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के संगठन, प्रक्रियाओं, संरचना और इतिहास के साथ–साथ पृथ्वी पर जीवन के विकास सहित पृथ्वी का व्यापक अध्ययन है। एक भूविज्ञानी पृथ्वी की सामग्री की जांच करता है और इसके प्रमुख क्षेत्र प्लेट

टेक्टोनिक्स, भूकंप, खनिज और पृथ्वी का निर्माण हैं। मृदा और जल इंजीनियरिंग कृषि इंजीनियरिंग के भीतर एक विशेषज्ञता पर केंद्रित है, जो मृदा और जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों को लागू करती है। मृदा और जल इंजीनियरिंग का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, कटाव को नियंत्रित करना और पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति बनाए रखना है। मृदा और जल इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्र सिंचाई और जल निकासी प्रणाली, मृदा अपरदन नियंत्रण, जल संसाधन प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन, जल विज्ञान मॉडलिंग और कृषि अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों का डिजाइन हैं।

8. भूविज्ञान और मृदा और जल इंजीनियरिंग के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि भूविज्ञान में संपूर्ण पृथ्वी और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए एक व्यापक दायरा शामिल है, जबकि मृदा और जल इंजीनियरिंग मृदा और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित है। भूविज्ञान और मृदा–जल इंजीनियरिंग विशिष्ट क्षेत्र हैं, हालांकि वे अक्सर प्रतिच्छेद करते हैं।

9. किसी विशेष पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है और नियोक्ता को कार्य की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए अपेक्षित योग्यताएं, एक योग्यता की कार्यक्षमता और अध्ययन पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करनी होती है। विज्ञापित पद विषय विशेषज्ञ से संबंधित हैं और इसलिए, नियम 2014 के तहत सहायक भू–जलविज्ञानी के पद के लिए एक विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, और पात्रता की शर्त के रूप में न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना राज्य के लिए है। एक विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य के विचार का विषय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. "ज़हूर अहमद राथर बनाम शेख इम्तियाज़ अहमद" [2019 (2) SCC 404] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समकक्षता (equivalence) का पता लगाना न्यायालय की भूमिका नहीं है। उक्त निर्णय में यह इंगित किया गया था कि राज्य, एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख सकता है, जिसके लिए सामाजिक संरचना में नौकरी के अवसर सृजित करने की आवश्यकता होती है। इस फैसले के पैरा 26 और 27 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:–

> "26. हम "ज्योति के.के." के फैसले पर बाद के फैसले अनीता (पूर्वोक्त) में दिए गए स्पष्टीकरण से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। "ज्योति के.के." में निर्णय नियम 10(a)(ii) के प्रावधानों पर आधारित था। ऐसे नियम के अभाव में, यह अनुमान लगाना अनुमेय नहीं होगा कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से दूसरी, यद्यपि निम्न, योग्यता के अधिग्रहण को पूर्वस्थापित करती है। किसी पद के लिए योग्यताओं का निर्धारण भर्ती नीति का मामला है। राज्य, नियोक्ता के रूप में, पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य

का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार, योग्यता की समकक्षता ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके। एक विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, के लिए तय करने का मामला है। "ज्योति के.के." में निर्णय एक विशिष्ट वैधानिक नियम पर आधारित था जिसके तहत एक उच्च योग्यता धारण करना निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्वस्थापित कर सकता था। वर्तमान मामले में ऐसे नियम का अभाव अंतिम परिणाम में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलटने में और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित ठहराया था कि अपीलकर्ता निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे। हमें खंडपीठ के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

27. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, राज्य, नियोक्ता के रूप में, कई विशेषताओं को वैध रूप से ध्यान में रख सकता है जिसमें कार्य की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए अपेक्षित योग्यताएं, एक योग्यता की कार्यक्षमता और अध्ययन पाठ्यक्रम की सामग्री शामिल है जो एक योग्यता के अधिग्रहण की ओर ले जाती है। राज्य को अपनी लोक सेवाओं की आवश्यकताओं का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। यह स्थापित कानून है कि प्रशासन की आवश्यकताएं प्रशासनिक निर्णय लेने के दायरे में आती हैं। राज्य, एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए सामाजिक संरचना में नौकरी के अवसर सृजित करने की आवश्यकता होती है। ये सभी अनिवार्य रूप से नीति के मामले हैं। न्यायिक समीक्षा को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि "ज्योति के.के." के निर्णय को एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके तहत एक उच्च योग्यता धारण करना जो निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्वस्थापित करती है, को पद के लिए पर्याप्त माना गया था। यह विशिष्ट नियम के संदर्भ में था कि "ज्योति के.के." में निर्णय को बदला गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. "महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम संदीप श्रीराम वराडे और अन्य" [2019 (6) SCC 362] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 9 और 14 में अभिनिर्धारित किया है कि:–

> "9. किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित करना नियोक्ता का अधिकार है। नियोक्ता अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएँ भी निर्धारित कर सकता है, जिनमें किसी प्रकार की वरीयता देना भी शामिल है। नियोक्ता ही सबसे बेहतर स्थिति में होता है यह तय करने के लिए कि कार्य की प्रकृति और अपनी आवश्यकताओं के

अनुसार किसी उम्मीदवार के पास कौन–सी योग्यताएँ होनी चाहिए। न्यायालय पात्रता की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकता, और न ही वह विज्ञापन का अर्थ बदलकर यह तय कर सकता है कि वांछनीय योग्यताओं को आवश्यक योग्यताओं के बराबर माना जाए। समकक्षता (equivalence) के प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं। यदि विज्ञापन की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उनके बारे में निर्णय नहीं दे सकता। यदि विज्ञापन में कोई अस्पष्टता है या वह किसी नियम या कानून के विपरीत है, तो मामले को आदेश पारित कर नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाना चाहिए ताकि वह कानून के अनुरूप कार्यवाही कर सके। किसी भी परिस्थिति में न्यायालय, न्यायिक समीक्षा के नाम पर, नियुक्ति प्राधिकारी की कुर्सी पर बैठकर यह निर्णय नहीं कर सकता कि नियोक्ता के लिए क्या बेहतर है और विज्ञापन की स्पष्ट भाषा के विपरीत उसकी शर्तों की व्याख्या नहीं कर सकता।

14. अधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाम अनीता पुरी मामले में निम्नलिखित अवलोकन के साथ स्वीकृति मिलती है:

7. यह निर्विवाद है कि डेंटल ऑफिसर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख था कि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता B.D.S. है। यह भी उल्लेख था कि उच्च योग्यता (higher qualification) वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि M.D.S. न्यूनतम योग्यता से उच्चतर योग्यता है और उत्तरवादी संख्या 1 के पास यह डिग्री थी। तब प्रश्न उठता है कि क्या M.D.S. योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस आधार पर चयन और नियुक्ति का अधिकारी हो जाता है कि विज्ञापन में उच्च योग्यता को वरीयता देने की बात कही गई थी? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। जब किसी विज्ञापन में किसी विशेष योग्यता को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि उच्च योग्यता को वरीयता दी जाएगी, तो इसका केवल यही अर्थ है कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को कुछ अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। इसका किसी भी प्रकार यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि उच्च योग्यता वाला उम्मीदवार स्वचालित रूप से चयन और नियुक्ति का अधिकार रखता है। इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय द्वारा यह कहना कि उत्तरवादी संख्या 1 जैसे M.D.S. योग्य व्यक्ति को चयन और नियुक्ति का अधिकार है, पूरी तरह से गलत है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दिखाने हेतु कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से प्राप्त मृदा और जल अभियांत्रिकी में उनकी स्नातकोत्तर डिग्री,

भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है। सहायक भू–जल विज्ञानी के पद हेतु भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता वाला विज्ञापन वर्ष 2014 के नियमों के आधार पर जारी किया गया था। "समकक्ष" (equivalent) शब्द न तो विज्ञापन में और न ही 2014 के नियमों में कहीं उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से प्राप्त मृदा एवं जल अभियंत्रण में उनकी स्नातकोत्तर डिग्री, भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है। सहायक भू–जल विज्ञानी के पद के लिए प्रत्युत्तरदाता क्रमांक 2 द्वारा जारी विज्ञापन में भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता 2014 के नियमों के आधार पर निर्धारित की गई है। “समकक्ष” शब्द न तो विज्ञापन में उल्लेखित है और न ही 2014 के नियमों में।

13. हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि सहायक भू–जल विज्ञानी के पद हेतु 12.02.2020 को जारी विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चयनित उम्मीदवारों को 21.10.2021 को ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय —— “आर.एन. गोयल बनाम अश्वनी कुमार गुप्ता एवं अन्य”, [2004 (11) SCC 753] —— में यह स्थापित है कि यदि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियम सामान्य भलाई के लिए हैं, परंतु किसी व्यक्ति को कठिनाई उत्पन्न करते हैं, तो यह कठिनाई उन नियमों को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती। नियम वैध हैं और किसी प्रकार की अविवेकशीलता से ग्रस्त नहीं हैं।

15. 2014 के नियम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्मित ये नियम विधायी अधिकार की कमी के कारण अवैध नहीं कहे जा सकते। राज्य को अपने कर्मचारियों की सेवा–शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्राप्त है। राज्य ने अपने विवेक में सहायक भू–जल विज्ञानी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की है, जो न तो मनमानी है, न ही विधायी अधिकार के अभाव में बनाई गई है और न ही अन्य डिग्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण है। यह स्थापित है कि नियम तभी अधिकारातीत घोषित किए जा सकते हैं जब वे संविधान के अनुरूप विधायी अधिकार से परे बनाए गए हों या स्पष्ट रूप से मनमाने हों। वर्तमान मामले में, हमारा मत है कि राज्य सहायक भू–जल विज्ञानी के पद हेतु पात्रता मानदंड और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने तथा छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियंत्रण एवं भूवैज्ञानिक (राजपत्रित) सेवा से संबंधित भर्ती एवं सेवा–शर्तों के नियम बनाने के लिए सक्षम है, जिसे “छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियंत्रण एवं भूवैज्ञानिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014” के रूप में ठीक ही बनाया गया है। अतः हम इसे उपयुक्त समझते हैं कि 2014 के नियमों के नियम 8 के उप–नियम (II) की अनुसूची–III में सहायक भू–जल विज्ञानी के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम

शैक्षणिक योग्यता — "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि" — अधिकारातीत नहीं है और राज्य के विधायी अधिकार के भीतर है। 2014 के नियमों में तथा जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक भू–जल विज्ञानी के पद के लिए भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने में कोई अवैधानिकता नहीं है। ये नियम उचित एवं सही हैं और न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. उपर्युक्त के प्रकाश में, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते और यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

सही /-
रवींद्र कुमार अग्रवाल
न्यायाधिपति

सही /-
रमेश सिन्हा
मुख्य न्यायाधिपति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur